



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU – 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 1724 का संशोधन सहित नवीकरण/

Amendment - cum Renewal of Type Approval No.: 1724

विषय / Sub:नियोप्रीन बेस रबड़ काम्पाउंड एन एफ एल-17-131-31बी6

Neoprene Base Rubber Compound NFL-17-131-31B6

यह घोषित किया जाता है कि विनिर्देश सं. एनएफएल-17-131-31बी6के लिए मेसर्स सुजान इंडस्ट्रीस, #77, मिस्त्री इंडस्ट्रियल काम्प्लेक्स, एम आई डी सी क्रॉस रोड 'ए', अंधेरी (ईस्ट), मुंबई-400 093, द्वारा विकसित तथा उत्पादित "नियोप्रीन बेस रबड़ काम्पाउंड एस आई/31बी6" को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1724, दिनांक 02 अगस्त 2012, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1724 जारी किया गया था, जिसकी वैधता 30 जून 2017 तक थी।

This is to state that the "Neoprene Base Rubber Compound SI / 31B6" to the Specification No.: NFL - 17 - 131 - 31B6, developed and manufactured by M/s Sujan Industries, # 77, Mistry Industrial Complex, MIDC Cross Road 'A', Andheri (East), Mumbai – 400 093, was issued with Type Approval No.: 1724, vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1724, dated: 02nd August 2012 and with validity up to 30th June 2017.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जुलाई 2018 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 30 जून 2023 तक वैध है। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर सी एम ए (एफ एंड एफ-एफ ओ एल), सेमिलैक, डीआरडीओ, द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, (एफ एंड एफ) प्रभाग, बेंगलूरु-560017 से अनुरोध करना होगा।

पृष्ठ/Page 01 of 02

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st July 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30th June 2023. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (F&F-FOL), CEMILAC, DRDO, C/o Hindustan Aeronautics Limited, (F & F) Division, Bengaluru-560 017 three (03) months before the expiry of Type Approval with all relevant documents including user's performance feedback, quantity produced & rejection, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1724, दिनांक 02 अगस्त 2012 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1724, dated: 02nd August 2012 is amended as stated herewith:

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु- 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru -560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remains unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक / CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1724/1R

दिनांक / Date : 06 July 2018

फैक्ससं /Fax No: 080-25230856

JR

पी जयपाल / P.JAYAPAL

उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist

मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)